

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 76]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 7 फरवरी 2022—माघ 18, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

अधि.क्र. 07 एफ 1-01-2022-अठारह-3 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल नीचे दी गई अनुसूची (1) में यथा उल्लेखित क्षेत्रों को नगरपालिका क्षेत्र गढ़ाकोटा, जिला सागर की सीमाओं में सम्मिलित करते हैं, अर्थात् :-

अनुसूची-एक

नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा की सीमाओं से सम्मिलित किए गए ग्रामों का क्षेत्र निम्नानुसार होगा :-

अनु.क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित ग्राम	शामिल किये जाने वाले ग्राम का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4
1	मगरधा	अनगरीय क्षेत्र मगरधा एवं ग्राम मगरधा	395.70
2	बेलई	1. भौरदहार 2. मझगुवां	297.05
3	संजरा	रनगुवां	749.09
4	बसारी	बसारी	511.61
5	बरखेरा गौतम	हिनौता	278.20

अनुसूची-दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, गढ़ाकोटा नगर पालिका की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:-

उत्तर दिशा :- अनगरीय क्षेत्र मगरधा, ग्राम मगरधा एवं बसारी।

पूर्व दिशा :- अनगरीय क्षेत्र मगरधा एवं ग्राम मगरधा

दक्षिण दिशा :- रनगुवां

पश्चिम दिशा:- हिनौता।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण राठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2022

क्र. एफ 1-01-2022-अठारह-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड-3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 07 एफ 1-01-2022-अठारह-3, दिनांक 7 फरवरी 2022 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

तरुण राठी, उपसचिव.

Bhopal, the 7th February 2022

Noti.No. 07 F-1-01-2022-XVIII-3.- In exercise of the powers conferred by Sub Section (3) of Section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to include the areas mentioned in Schedule-I below within the limit of Municipal Area of Garhakota, District- Sagar, Namely :-

SCHEDULE- I

The Area of village included within the Municipal Limit of Garhakota shall be as follows:-

S.no	Name of Village	Including Village	Detail of Area (In Hectare)
1	2	3	4
1	Magardha	Non-Urban Area Magardha and Village Magardha	395.70
2	Belai	1. Bhordahar 2. Majhguwan	297.05
3	Sanjra	Ranguwan	749.09
4	Basari	Basari	511.61
5	Barkhera Goutam	Hinota	278.20

SCHEDULE –II

The revised boundaries of the Municipal Area Garhakota, after inclusion of the area prescribed in Schedule-I above are as follows:-

- North direction** – Non-Urban Area Magardha, Village Magardha and Basari.
- East direction** – Magardha, Non-Urban Area and village Magardha.
- South direction** - Ranguwan.
- West direction** – Hinota.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
TARUN RATHI , Dy. Secy.